न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 10/2023

उनवान

1. चावण्ड सिंह पुत्र श्री शिव सिंह चुण्डावत नि0 एकलिंगपुरा तह. व जिला भीलवाडा (राज.)

--प्रार्थी

बनाम

1. ऋषभ लाल पुत्र श्री फतेह लाल महाजन नि0 बरडोद तह. हमीरगढ।
2. नवरतनमल पुत्र श्री मदन लाल महाजन नि0 बरडोद तह. हमीरगढ।
3. मनोहर लाल पुत्र श्री मदन लाल महाजन नि0 बरडोद तह. हमीरगढ।
4. रोशन लाल पुत्र श्री मदन लाल महाजन नि0 बरडोद तह. हमीरगढ।
5. हस्तीमल पुत्र श्री मदन लाल महाजन नि0 बरडोद तह. हमीरगढ।
6. काली देवी पत्नि श्री रतन खाती नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ।
7. शकर लाल पुत्र श्री रतन खाती नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ।
8. सायरी पत्नी श्री नारू बैरवा नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ।
9. चुना पुत्र श्री देवा भील नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ।
10. झूमा पत्नि श्री चुना भील नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ।
11. गणेश पुत्र श्री बालू हरिजन नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ।
12. कालू पुत्र श्री रामा बैरवा नि0 जवासिया का खेडा तह0 हमीरगढ ।
13. प्रेम पुत्र श्री कालू बैरवा नि0 जवासिया का खेडा तह0 हमीरगढ ।
14. भैरू पुत्र श्री मांगू बैरवा नि0 जवासिया का खेडा तह0 हमीरगढ ।
15. रतनी पत्नी श्री भैरू नि0 जवासिया का खेडा तह0 हमीरगढ ।
16. भंवर लाल पुत्र श्री रता भील नि0 कोला मंगरी तह0 गिर्वा जिला उदयपुर।
17. बबलू पुत्र श्री भैरू लाल भील नि0 उखलिया जिला चितौडगढ।
18. केलु पुत्र श्री जस्सा भील नि0 जवासिया तह0 हमीरगढ ।
19. शंकर लाल पुत्र श्री नारायण जाट नि0 नेवरिया तह. राशमी जिला चितौडगढ।
20. देवी लाल पुत्र प्यारचन्द बैरवा नि0 नेवरिया तह. राशमी जिला चितौडगढ।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 07.02.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23.01.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम जवासिया पटवार हल्का दुडिया भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 56 की आ.न. 1207 रकबा 7.3341 है0, आ.न. 1221/1 रकबा 0.9357 है0, आ.न. 1221/2 रकबा 0.5564 है0, आ.न. 1221/3 रकबा 0.3794है0, आ.न. 1256/1207 रकबा 0.6323 है0, कुल किता 05 रकबा 9.8379है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.01.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 व 06 से 8 व 12 से 20 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 2,3,4,5,9,10,11 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 2,3,4,5,9,10,11 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रकरण में विपक्षी संख्या 2,3,4,5,9,10,11 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

<u>–::आदेश::–</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम जवासिया पटवार हल्का दुडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 56 की आ.न. 1207 रकबा 7.3341 है0, आ.न. 1221/1 रकबा 0.9357 है0, आ.न. 1221/2 रकबा 0.5564 है0, आ.न. 1221/3 रकबा 0.3794है0, आ.न. 1256/1207 रकबा 0.6323 है0, कुल किता 05 रकबा 9.8379है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 3900/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 07.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ